International Research Journal of Human Resource and Social Sciences
ISSN(O): (2349-4085) ISSN(P): (2394-4218)
Impact Factor 6.924 Volume 10, Issue 11, Nov 2023
Website- www.aarf.asia, **Email** : editoraarf@gmail.com

चुना पत्थर उद्योग में कार्यरत मजदूरों का आर्थिक स्तर एवं स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं: पश्चिमी राजस्थान के विशेष संदर्भ में

बबीता कुमारी
शोधार्थी, भूगोल विभाग,
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन

पश्चिमीराजस्थान में श्रमिकों का सम्पूर्ण औद्योगिक जगत में आधारभूत महत्व है। कृषि क्षेत्र के अलावा खनन उद्योग, पशुपालन, अन्य विभिन्न उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र में मजदूरों की मौलिक भूमिका सर्वविदित है। राजस्थान में मानव संसाधन की कार्य शक्ति को प्रभावित करने वाले अनेक आर्थिक एवं सामाजिक कारक है।

चुना पत्थर श्रमिकों के रहन–सहन का स्तर :–

श्रमिकों के रहन–सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले भौतिक एवं सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारकों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

(1)भौतिक कारक (Physical Factors): राजस्थान के कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी. के 1 प्रतिशत पर उच्च शिखर, 6 प्रतिशत पर पर्वत श्रृंखला, 31 प्रतिशत उच्च भूमि या पठार, 11 प्रतिशत पर निम्न भूमि तथा 51 प्रतिशत भाग मैदानो है। राज्य के 60.10 प्रतिशत भाग पर मरुस्थल पाया जाता है। 50 सेमी. सम वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बाँटती है जिसके पूर्वी भाप में कार्य शक्ति 60 प्रतिशत व पश्चिमी भाग में 40 प्रतिशत पायी जाती है। राजस्थान के दक्षिण में उष्ण व उत्तरी भागमें शीतोष्ण जलवायु पायी जाती है। पर्वतीय भागों की कार्य शक्ति पठारों से कम, पठारों की कार्य शक्ति मैदानों से कम पायी जो है।

(2) सांस्कृतिक व आर्थिक कारक (Cultural & Economical Factors): राजस्थान में जनसंख्या को कार्य शक्ति को प्रभावित करने वाले सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारक इस प्रकार है–

© Associationof Academic Researchers and Faculties (AARF)
A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International e-Journal - Included in the International Serial Directories.

(i)अर्थव्यवस्था का प्रकार (Types of Economy): किसी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का प्रकार व उसकी प्रकृति वहाँको कार्य शक्ति के आकार व प्रतिरूप को प्रभावित करती है। राजस्थान में कृषि प्रधान जिलों में जिस प्रकार के रोजगार उपलब्ध होते है, वे औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले जिलों में सुलभ रोजगार से भिन्न होते हैं। जैसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले जिलों में शिक्षित व कुशल श्रमिकों को आवश्यकता होती है, वहाँ उद्योगों में आवश्यकता होने पर श्रमिक की भर्ती की जाती है आवश्यकता न होने पर उनकी भर्ती में देर की जाती है या रोक लगा दी जाती है। इस प्रकार श्रम शक्ति का आकार अर्थात कम होता है लेकिन इसके विपरोत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले जिलों में अन्य प्रकार की श्रम शक्ति लगायी जाती है, जिससे यहां श्रम शक्ति का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है।

(ii) रोजगार के अवसरों की सुलभता (Easily Employment): विकसित जिलों की तुलना में कम विकसित जिले में कार्य शक्ति का अनुपात न्यून होता है। अल्प विकसित, जिला में जहाँ बेरोजगारों की संख्या अधिक होती है, वहाँ के जिले रोजगार के अवसर बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में नहीं दे पाते हैं। फलतः वहा कम श्रम शक्ति का अनुपात होता है। इस विपरीत विकसित जिलों में रोजगार के अवसर अधिक होने के कारण वहा सभी इच्छुक लोगों को रोजगार मिल जाते हैं जिसमें यहा श्रम शक्ति की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है।

(iii)आय का स्तर (Level of Income): जिस समाज में निम्न आय स्तर पाया जाता है वहाँ अधिकांश लोग कार्य में लगने के लिए बाध्य होते है जिससे वहाँ कार्य शक्ति का अनुपात अधिक होता है। इसके विपरीत उच्च आय वाले समाज में सभी को कार्य में लगने की आवश्यकता नहीं होती है, फलतः वहाँ कम कार्य शक्ति देखी जाती है।

(iv)जनांकिकीय कारक (Demographic Factors): राजस्थान में जनसंख्या की कार्य शक्ति को प्रभावित करने वाले जनांकिकीय कारक इस प्रकार है–

(a) जन्म दर (Birth Rate) : कार्य शक्ति को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म दर और तत्सम्बन्धित आयु संरचनाः सर्वाधिक मात्त्वपूर्ण है। जिन जिलों में जन्म दर ऊँची है वहाँ शिशु आयु वर्ग की संख्या अधिक होती है। फलस्वरूप कुल जनसंख्या के संदर्भ में कार्य शक्ति का अनुपात कम हो जाता है। इसके विपरीत कम जनसंख्या वाले जिलों में 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या कम होती है, जिससे पराश्रिता अनुपात भी कम रहता है। फलस्वरूप कुल जनसंख्या के संदर्भ में कार्य सि का अनुपात अधिक रहता है।

(b) जीवन प्रत्याशा (Longevity of Life) जिस समाज में जीवन प्रत्याशा अल्प होती है वहाँ कई श्रमिक अपने कार्य करने को आयु में ही मर जाते हैं जिससे सम्पूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में कार्य शक्ति की मात्रा कम हो

जाती है। इसके विपरीत लम्बी जीवन प्रत्याशा पाले समाज में श्रमिक अपनी पूरी कार्य अवधि भर कार्य करते है जिससे वहाँ कार्य शक्ति का अनुपात अधिक होता है।

(c) प्रवास (Migration) :– जनसंख्या प्रवास आयु तथा लिंग प्रधान दोनों होता है। जिससे कुल जनसंख्या के संदर्भ में कार्य शक्ति की मात्रा अधिक या कम हो जाती है। सामान्यतया क्रियाशील आयु वर्ग के पुरूषों का अधिक प्रवास होता है जिससे अप्रवासित क्षेत्र में कार्य शक्ति का अनुपात अधिक होता है। इसके विपरीत उत्प्रवासित क्षेत्र में बच्चों और बढों की संख्याअधिक होने के कारण कार्य शक्ति को मात्रा कम हो जाती है।

श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं–सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न याजनाएं चला रही है। इस संबंध में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करने के लिए ईश्रम पोर्टल विकसित किया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन और दिव्यंगता कवर प्रदान किया जाता है।

आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी–पीएमजय) स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन (पीएम–एसवाईएम) पेंशन योजना शुरू की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य योजनाएं भी मजदूरों सहित असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों के लिए उनकी पात्रता मानदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं।

इन योजनाओं के अलावा, कुछ और योजनाएं उपलब्ध हैं: आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) के तहत बेरोजगारी लाभ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएमजीकेआरए), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू–जीकेवाई), प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (पीएम–जीकेआरए), प्रधानमंत्री किसान मान–धन योजना (पीएम केएमडीवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आदि अन्य योजनाओं के डेटा के साथ ईश्रम डेटा का मिलान भी किया गया है।

श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ एवं लाभ

केन्द्र एवं राज्य सरकारें समय–समय पर श्रमिकों एवं आम नागरिक के स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है। इनमें कुछ योजनाएं तो विशुद्ध रूप से खनन मजदूरों के लिये ही लागू की जाती है। यथा सिलिकोसिस रोग के निदान, रोकथाम आदि संबंधी विभिन्न योजनाएं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कुछ योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

Sr.No	Department	Scheme
1	Medical & Health Department	eSanjeevani OPD Teleconsultation Services
2	Medical & Health Department	Mobile Medical Unit
3	Medical & Health Department	Mukhya Mantri Nishulk Janch Yojna
4	Medical & Health Department	Mukhya Mantri Nishulk Nirogi Rajasthan
5	Medical & Health Department	Mukhya Mantri Nisulk Nirogi Rajasthan
6	Medical & Health Department	National Leprosy Eradication Programme
7	Medical & Health Department	National Oral Health Program
8	Medical & Health Department	Shudh Ke Liye Yudh
9	Medical & Health Department	BPL Deshi Ghee Yojna
10	Medical & Health Department	CM Balika Sambal Yojna

राजस्थान सरकार द्वारा प्रवर्तित श्रमिक हितैषी योजनाएं –मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री दवा योजना, निरोगी राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजन, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा योजना,घर–घर औषधी योजना,राजस्थान सिलिकोसिस नीति, राजस्थान शुभ शक्ति योजना,मुख्यमंत्री क्रेडिट कार्ड योजना,मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना,मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना,जनजाति भागीदारी योजना,लघु एवं सीमांत पेंशन योजना,राजीव गांधी जल संचय योजना,मुख्यमंत्री राजश्री योजना,सात सूत्री कार्यक्रम योजना,किसान कलेवा योजना, बूनकर शाला योजना, जनता क्लिनिक,मुख्यमंत्री जिला नवाचार योजना,मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना,राजस्थान निक्षय संबल योजना आदि महत्वपूर्ण आदि महत्वपूर्ण योजनाएं विभिन्न सरकारों द्वारा चलाई जा रही है जिससे चुना पत्थर उद्योगों में नहीं बल्कि सभी तरह के उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित हो रही हैं।

निष्कर्ष –चूना पत्थर खदानों के व्यापक क्षेत्र में अत्यंत ही असंगठित ढंग से नियोजित इन श्रमिकों की दैनिक मजदूरी आय बहुत ही कम है। आर्थिक दृष्टि से वे छद्म बेरोजगारीग्रस्त मजदूर ही है जिनको क्षमता के अनुकूल समुचित आय के सुअवसर नहीं मिल पाते है।

चूनापत्थर उद्योगों के मालिक इन असंगठित, अकुशल या अर्द्धकुशल श्रमिकों के व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं आर्थिक नियोजन की ओर नाममात्र ही ध्यान देते हैं। बेरोजगारी के दौर में अनेक श्रमिक तो स्वयं भी कम मजदूरी के लिए भी काम करने को तत्पर रहते हैं। राज्य सरकारों द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न श्रमिक हितैषी योजनाओं की पूरी–पूरी जानकारी इन श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव होता है। योजनाओं के लिए पंजीकरण में भी अनेक प्रकार कीदस्तावेज सत्यापन यथा– आधार, जनाधार और बैंक के वाई सी आदि बाधाएंदेखी जा सकती है। डिजिटल युग में किसी भी श्रमिक के सभी दस्तावेजों में उनके नामों की वर्तनी (स्पेलिग), सरनेम, जन्मतिथि आदि में एकरूपता का अभाव होने से उनको अधिकांशतया आवेदन खारिज की सूचना से संतोष करना पड़ता है।

संदर्भ सूची–

1. हावारी, एफ.एम. और बनत, के.एम. (2002)। जॉर्डन और यरमौक नदी जल की हाइड्रोकेमिकल विशेषताएंः प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोमैकेनिक्स। 50(1): 50–64.
2. हावलादार, एम.एफ., देब, पी.के., शहीदुल हक मुजमदार, ए.टी.एम. और अहमद, एम. (2014)। बारापुकुरिया कोयला खदान औद्योगिक क्षेत्र, दिनाजपुर, बांग्लादेश के आसपास जल संसाधनों का मूल्यांकन। अनुप्रयुक्त जल विज्ञान। 4:203–222.
3. सीन–यी, सी. (2012). उत्खनन का प्रभाव। www-sustainablefloors-co-ukसे 14 दिसंबर, 2012 को लिया गया (http%//glcf-umiacs-umd-edu/data/) 12.05.2017 को एक्सेस किया गया
4. हुआंग, एक्स।, सिलनपा, एम।, गजेसिंग, ई.टी. और वोग्ट, आर.डी. (2009)। तिब्बती पठार में पानी की गुणवत्ताः प्रमुख आयन और चार प्रमुख एशियाई नदियों के उद्गम जल में तत्वों का पता लगाना। कुल पर्यावरण का विज्ञान। 407(24):6242–54.
5. हट्टल, आरएफ (1998)। ल्यूसैटियन लिग्नाइट खनन जिले, जर्मनी में खनन के बाद के परिदृश्य की पारिस्थितिकी। इनः एच. आर. फॉक्स, एच. एम. मूर और ए. डी. मैकिन्टोश (ईडीएस), लैंड रिक्लेमेशन – अचीविंग सस्टेनेबल बेनिफिट्स। ए ए बलकेमा, रॉटरडैम। पीपी। 187–192।
6. हाइन्स, एच. बी. एन. (1963)। प्रदूषित जल की जीव विज्ञान। लिवरपूल यूनिवर्सिटी प्रेस।
7. इकोमी, आर.बी. और एमुह, सी.टी. (2000)। ऊपरी वार्री नदी नाइजीरिया के भौतिक रासायनिक जल विज्ञान की स्थिति। जर्नल ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट। 2:75–86.
8. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)। (1975)। पेयजल आपूर्ति के लिए गुणवत्ता मानकों का मैनुअल, नई दिल्ली, भारत।